फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

रतनलाल [illegible] बनाम [illegible]

धारा 111, 128 वाद/प्रा0प0/अपील प्र0सं0 52/17

बाद जॉच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रकियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 19/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

14/6/17 पत्रावली आज [illegible]
अभिभाषक [illegible] पर
पेश हुई। पत्रावली में निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसले शुमार होकर
दाखिल दफ्तर रिकार्ड की जावे।

[illegible] 19.[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
राजस्व लोक अदालत अभियान दिनांक 19.06.2017 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट–खैराबाद
पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनु मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 42/17

1. श्रीरतन पिता भारमल कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. श्रीभैरू पिता भारमल कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. हरू बेवा भारमल कुमावत निवासी काबरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कालु पिता काना कुमावत निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. प्रभु पिता काना कुमावत निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. भगवान पिता काना कुमावत निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. लादु पिता हजारी कुमावत निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. कैलाश पिता हजारी कुमावत निवासी काबरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. तहसीलदार हमीरगढ, तहसील व जिला भीलवाडा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956
निर्णय दि
दिनांक 19.06.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम काबरा प0म0 आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 41 में आराजी न0 26 रकबा 0–08, 27 रकबा 0–02, 28 रकबा 0–16, 29 रकबा 0–04, 30 रकबा 3–10, 40 रकबा 0–02, 41 रकबा 1–19, 42 रकबा 0–03, 43 रकबा 0–14, 44 रकबा 2–03, 227 रकबा 1–03, 228 रकबा 0–06, 229 रकबा 1–09, 230 रकबा 1–11, 231 रकबा 1–04, 233 रकबा 1–13, 243 रकबा 2–11, 244 रकबा 0–11, 266 रकबा 1–12, 269 रकबा 1–12, 294/43 रकबा 0–10, 302/30 रकबा 0–05 कुल किता 22 रकबा 24–08 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसे पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 केम्प खैराबाद पर प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण का स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम काबरा प0म0 आमलीगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 41 मे आराजी न0 26 रकबा 0–08, 27 रकबा 0–02, 28 रकबा 0–16, 29 रकबा 0–04, 30 रकबा 3–10, 40 रकबा 0–02, 41 रकबा 1–19, 42 रकबा 0–03, 43 रकबा 0–14, 44 रकबा 2–03, 227 रकबा 1–03, 228 रकबा 0–06, 229 रकबा 1–09, 230 रकबा 1–11, 231 रकबा 1–04, 233 रकबा 1–13, 243 रकबा 2–11, 244 रकबा 0–11, 266 रकबा 1–12, 269 रकबा 1–12, 294/43 रकबा 0–10, 302/30 रकबा 0–05 कुल किता 22 रकबा 24–08 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देवें। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय हमीरगढ में 2500/–रू0 अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये मात्र बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(श्रीमती रेनु [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ